न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 08 / 2022 नामांतरकरण अपील

1. कमलेशी पुत्री रामखिलाडी पत्नि धूजीराम जाति मीणा निवासी ग्राम गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. हंसी पुत्री रामखिलाडी पत्नि जनकराम जाति मीणा निवासी ग्राम गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी ग्वारकी तहसील महवा जिला दौसा।
3. रिन्की पुत्री रामखिलाडी पत्नि कल्लूराम जाति मीणा निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा। अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामखिलाडी उर्फ दत्तक पुत्र सोनी पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. लक्ष्मण पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. मूलचन्द पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. सफेदी पुत्री रामखिलाडी पत्नि मुनीराम जाति मीणा निवासी ग्राम गढोरा तहसील सिकराय हाल निवासी नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 21.05.2021 वाके ग्राम गढोरा न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा)

उपस्थिति :–: श्री उमेश कुमार गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 27.06.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सगी बहिने है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता है। अपीलान्ट्स की पैतृक खातेदारी की भूमि वाके ग्राम गढोरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स के पिता रामखिलाडी उर्फ खिलाडी दत्तक पुत्र सोनी पुत्र किशनलाल जाति मीना ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ मिलकर एक नुमाईशी दानपत्र संख्या 58 व 59 दिनांक 09.03.2021 को उपपंजीयक बहरावण्डा के यहां अपीलान्ट्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक करवा दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को होने पर अपीलान्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उनवानी कमलेशी बनाम रामखिलाडी मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा दिनांक 17.05.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जारी फरमा दी। जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 लगायत 4 द्वारा उप तहसीलदार बहरावण्डा से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 21.05.2021 तस्दीक करवा लिया। जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की और से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार विजय उपस्थित आये। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 21.05.2021 विधि प्रक्रिया एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी कमलेशी बनाम रामखिलाडी में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् आदेश जारी फरमाये किये जाने के बावजूद भी उक्त आदेशों की अवहेलना कर उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 से सांठगांठ कर यह नामान्तरकरण संख्या 186 तस्दीक कर दिया। अपील में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट्स की पैतृक सम्पत्ति है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से दान पत्र तस्दीक करवाकर सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी होने के बावजूद भी यह नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा तस्दीक किया है। अपीलान्ट्स की पैतृक खातेदारी होने के कारण अपीलान्ट्स के हक अधिकार प्रभावित हुये है एवं अपीलान्ट्स पीडित पक्षकार है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 186 पर पारित आदेश दिनांक 21.05.2021 निरस्त किये जाने की कृपा करे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने अपनी अपील में वादग्रस्त भूमि बाबत् दावा न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में चलना बताया गया है। किन्तु ना तो उनके द्वारा उक्त दावे की प्रति पेश की गई है ना ही उक्त दावे की निर्णय की प्रति पेश की गई है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दावा उनवानी कमलेशी बनाम रामखिलाडी न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में चला था जो दिनांक 02.08.2023 को खारिज हो गया है। उक्त निर्णय दिनांक 02.08.2023 के अनुसार वादीयागण द्वारा वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में उप पंजीयक बहरावण्डा के समक्ष किये गये दानपत्र दिनांक 09.03.2021 को शून्य एवं बेअसर घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं में वर्णित प्रावधानों के तहत दानपत्र को शून्य घोषत करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिये वादपत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में प्रस्तुत वाद दिनांक 02.08.2023 को निरस्त हुआ था, यह तथ्य स्वीकार है किन्तु अपीलान्ट ने न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां प्रस्तुत कर दी है। उक्त वाद अपील[illegible] अपील प्रस्तुत करने के बाद निरस्त हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पुनः निवेदन किया गया कि उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा दिनांक 02.08.2023 को वाद निरस्त किया जा चुका है तो पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः की प्रभावशून्य हो चुकी है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 02.08.2023 की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित किये जाने वाला निर्णय ही प्रभावी होगा। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 21.05.2021 उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा दिनांक 17.05.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरान्त तस्दीक किया गया है। किन्तु उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन वाद का निस्तारण किया जाकर दावा वादीयान गण खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां विचाराधीन होना अवगत कराया गया है। अपीलेट न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से एवं वाद बाहुल्यता की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested